न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 05/2020
दायर दिनांक : 18.02.2020

अनवान

1. कल्याण पिता सवाईराम गुर्जर निवासी थलखुर्द तहसील माण्डलगढ़।

——प्रार्थी

बनाम

1. कानसिंह पिता भूरसिंह राजपूत निवासी थलखुर्द तहसील माण्डलगढ़।
2. मोहनसिंह पिता भूरसिंह राजपूत निवासी थलखुर्द तहसील माण्डलगढ़।
3. सज्जनसिंह पिता भूरसिंह राजपूत निवासी थलखुर्द तहसील माण्डलगढ़।
4. लादूसिंह पिता भूरसिंह राजपूत निवासी थलखुर्द तहसील माण्डलगढ़।
5. मन्ना कंवर पिता भूरसिंह राजपूत निवासी थलखुर्द तहसील माण्डलगढ़।
6. धापू कंवर पिता भूरसिंह राजपूत निवासी थलखुर्द तहसील माण्डलगढ़।
7. लीला कंवर पिता भूरसिंह राजपूत निवासी थलखुर्द तहसील माण्डलगढ़।
8. रूप कंवर पिता भूरसिंह राजपूत निवासी थलखुर्द तहसील माण्डलगढ़।
9. भैरू पिता पन्ना रेगर निवासी थलखुर्द तहसील माण्डलगढ़।
10. गोपाल पिता पन्ना रेगर निवासी थलखुर्द तहसील माण्डलगढ़।
11. कालू पिता पन्ना रेगर निवासी थलखुर्द तहसील माण्डलगढ़।
12. शंकर पिता पन्ना रेगर निवासी थलखुर्द तहसील माण्डलगढ़।
13. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

——अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री अनील पारीक (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1–8)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 08.01.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम थलखुर्द पटवार हल्का थलकला में स्थित भूमि आराजी संख्या 387/72, 397/72,475/387 पर पैदल सजबैल ट्रेक्टर से आने जाने का रास्ता विपक्षीगण की आराजी नम्बर 369/72 व 370/72 के दक्षिणी भाग से 387/72 की उत्तरी मेर पर 20 फीट चौड़ा रास्ता का वर्षो से प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। परन्तु दिनांक 15.11.2019 को रास्ते से निकलने देने से मना कर दिया धमकी दी गई रास्तें को राजस्व रेकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 36[illegible] 370/[illegible] फीट चौड़ा रास्ता घोषित किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.25 13:50:44 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकरण में [illegible] प्रार्थनापत्र पेश किया गया। मामले में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। [illegible] की खातेदारी ज[illegible] आराजी नम्बर 387/72, 397/72, 475/387 पर आने जाने का रास्ता थलखुर्द से [illegible]कर आराजी नम्बर 479/357 के उत्तरी मेर के सहारे [illegible]हारे रेकॉर्डेड रास्ता आराजी नम्बर 369/72 की दक्षिणी मेर पर पहुँचता है। उक्त रास्ता आराजी नम्बर 369/72 की दक्षिणी मेर के सहारे सहारे आराजी नम्बर 370/72 के दक्षिणी भाग पर कोई रास्ता मौजूद नही है। न ही प्रार्थी ने उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग किया है। न ही विपक्षी ने उक्त रास्ते को

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

बन्द किया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को जबरन परेशान करने के लिए उनकी जमीन पर रास्ता होना बताया है। प्रार्थी की जमीन पर आने जाने हेतु थलखुर्द से पश्चिमी दिशा में आराजी नम्बर 461/72 पर 30–40 फीट रेकॉर्डेड रास्ता मौजूद है और उस रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण करते चले आ रहे है। लेकिन प्रार्थी उक्त रास्ते से नही निकलकर प्रार्थी की कृषि भूमि में से होकर जबरन रास्ता निकालना चाहते है जो गलत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जावें।

दिनांक 28.12.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक कोर्ट/2020/2860 दिनांक 18.12.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम थलखुर्द पटवार हल्का थलकला की आराजी संख्या 387/72, 397/72 व 475/387 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 369/72 व 370/72 में से 20 फीट चौड़ा रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थी के आराजी पर पहुंचने के लिये राजस्व रिकॉर्ड में आराजी संख्या 369/72 व 370/72 रास्ता चालू है। मांगा गया रास्ता लघुतम नही है लघुतम रास्ता आराजी नम्बर 69 व 371/72 का है। विपक्षी की आराजी नम्बर 369/72 मे से 420 वर्गमीटर व आराजी नम्बर 370/72 में से 160 वर्गमीटर भूमि रास्ते के उपयोग में ली जावेगी। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली 8 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जिसकी की वर्तमान डी.एल.सी. दर 66647 रूपये प्रति बीघा से 26660 रूपये बनती है। दुगुनी दर 53320 रूपये है। पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र के सूचित किया गया। प्रतिवादी कानसिंह पिता भूरसिंह राजपूत उपस्थित है तथा हस्ताक्षर है।

पत्रावली पेश हुई। हमने सर्वपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074–77, जमाबन्दी सम्वत 2076–2020 दिनांक 28.12.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए आराजी नम्बर 369/72 व 370/72 से प्रार्थी निकलते है प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम नही है। विपक्षी की खाते की 8 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। रास्ते हेतु 8 बिस्वा खातेदारी भूमि का उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर 66647 रू. प्रति बीघा से 26660 रू. बनती है। दुगुनी डी.एल.सी. दर 53320 रू. बनती है। उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्राम थलखुर्द पटवार हल्का थलकला तहसील माण्डलगढ़ के आराजी संख्या 387/72, 397/72, व 475/387 पर पहुंचने के लिये विपक्षी की ग्राम थलखुर्द पटवार हल्का थलकला की आराजी संख्या 369/72 व 370/72 में से रास्ता चाहा गया है परन्तु तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में पूर्व से ही रास्ता होना व चाहा गया रास्ता लघुतम नही होने से प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 08.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.25 13:50:44 IST
Reason: SelfAttested

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner